# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
# (जिला जोधपुर ग्रामीण)

*पीठासीन अधिकारी :– श्री भवानी सिंह, आर.ए.एस.*

**मुकदमा नम्बर :– 90 / 2024**

**जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर :– 2024 / 155**

**प्रार्थीगण**

1. केसूराम पुत्र राणाराम
2. गुमानाराम पुत्र राणाराम निवासी जाम्भेसरनगर तहसील चामू जिला जोधपुर।

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

**(अप्रार्थीगण परफोरमा पक्षकार संख्या 1 से 15)**

1. अर्जुराम पुत्र भूराराम
2. इन्द्रा देवी पत्नी भूराराम
3. खेताराम पुत्र भूराराम
4. गुड्डी देवी पत्नी प्रेमाराम
5. देवाराम पुत्र भूराराम
6. धापू पत्नी राणाराम
7. नखताराम पुत्र भूराराम
8. बाबुराम पुत्र भूराराम
9. महेन्द्र राम पुत्र राणराम निवासी जम्भेसरनगर तहसील चामू जिला जोधपुर
10. भगवानाराम पुत्र मंगनाराम
11. भारमलराम पुत्र मंगनाराम
12. मंगनाराम पुत्र आईदानराम
13. रूकमोदेवी पत्नी राजूराम
14. राजूराम पुत्र सांवताराम निवासी जम्भेसरनगर तहसील चामू जिला जोधपुर
15. सुवादेवी पत्नी रेवतराम निवासी सांगसिंहनगर तहसील चामू जिला जोधपुर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चामू जिला जोधपुर

## <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 111, 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री लुम्बाराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी 1 से 15 परफोरमा पक्षकार।
3. अप्रार्थी संख्या 16 राजकीय पैरोकार उपस्थित।

## –:: निर्णय ::–

दिनांकः– 28/1/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगणो के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैः–

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं[illegible] की [illegible] भूमि ग्राम सांगसिहनगर पटवार हल्का ढाडिया तहसील चामू जिला जोधपुर में ख[illegible]04 रकबा 8.4255 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रा[illegible] प्रार्थीगण के पडौसी खेतों की सीमा के कोई भी पक्के मुटाम मौके पर [illegible] व मुटाम नही होने से सभी को अपने–अपने खेतों की सीमा [illegible] समय पडौसी खातेदार [illegible] व पडौसी खेत के खातेदारों को सीमा को लेकर परेशान कर[illegible]हते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रा[illegible] प्रस्तुत कर उक्त वादग्रस्त आराजी का सीमा चिन्हों से नाप कर मौके पर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 16 को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी 16 द्वारा जवाब न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिससे शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.12 12:23:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

अप्रार्थी 16 द्वारा अपने जवाब मे अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 व पडौसी खेतो के बीच कोई पक्की माठ व मुठाम नही है। जिसके कारण उन्हे अपने खेतो की सीमा का सही ज्ञान नही है इस कारण पडौसी खातेदारी की बीच सीमा का विवाद है। कब्जा का विवाद का मामला है। उक्त आराजी की भूमि की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा उभयपक्षो की उपस्थिति मे सीमाज्ञान करवाकर करवायी जाती है तो अप्रार्थी संख्या 16 को कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उक्त पत्रावली में प्रार्थी द्वारा पडौसी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है और न ही पत्थरगढी से पूर्व वादग्रस्त आराजी की सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्रावली मे प्रस्तुत की गई है। पत्थगरढी आदेश पारित किये जाने से पूर्व पडौसी खातेदारो को सुना जाना एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्रावली मे उपलब्ध होना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 16 द्वारा अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया गया है कि मौके पर कब्जे का विवाद है इस स्थिति मे प्रार्थी धारा 183 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 को अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी की सीमाज्ञान रिपोर्ट सहित पडौसी खातेदारो को पक्षकार बना कर नवीन पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु स्वंतत्र है।

निर्णय आज दिनांक 29/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी।

(भवानी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.12 12:23:12 IST
Reason: SelfAttested